

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B, N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

अवगत भारी 173 बी. एन. एस. एस.

1. District: ACB DISTRICT (ज़िला):
P.S.: C.P.S Jaipur (थाना):
Year: 2024 (वर्ष):
2. FIR No.: 0206 (प.सू.रि.सं.):
Date and Time of FIR: 19/09/2024 18:25 बजे (एफआइआर की तिथि/समय):

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (आर्य)
1	अपभार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): मंगलवार

Date From (दिनांक से): 18/06/2024

Date To (दिनांक तक): 18/06/2024

Time Period (समय अवधि): पहर

Time From (समय से): 14:25 बजे

Time To (समय तक): 17:40 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 19/09/2024

Time (समय): 16:30 बजे

(c) General Diary Reference (रीजनामचा संख्या):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001

Date & Time (दिनांक एवं समय): 19/09/2024 18:25:51 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):

EAST, 45 किमी

Beat No. (बीट सं.):

NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): JAIPUR EAST, POLICE STATION TUNGA, AYUKTALAY JAIPUR

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो)

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (ज़िला (राज्य)):

1	संज्ञित और मुद्रा	रुपये		50,000.00
S.No.	Property Category	Property Type (संपत्ति)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु.में))

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित संपत्ति का विवरण यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नसीब करें):

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज करने के कारण):

2	MAHESH KUMAR		पिता: BHAWANI SINGH 1. GAON SHIV POST GOTAN, NAGAUR, RAJASTHAN, I	
1	ASHOK KUMAR		पिता: KANARAM BAIRWA 1. VEENYA VALI DHANEE, GRAM LAWAN, DAUSA, DAUSA, RAJAS	
S.No.	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूरा विवरण सहित वर्णन):

(i) Phone number (दूरभाष नं.):

Mobile (मोबाइल नं.):

2	स्थायी पता	WARD 07, MADHOGARH, TUNGA, TUNGA, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
1	वर्तमान पता	WARD 07, MADHOGARH, TUNGA, TUNGA, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)

(ii) Address (पता):

(h) Occupation (व्यवसाय):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण) (राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारंपरिक आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पीएन):

(बारी करने की तिथि):

Date of issue (बारी करने का स्थान):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

(e) UID No (यूआईडी सं.):

(जन्म तिथि/ वर्ष):

(c) Date/Year of Birth 1982

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(b) Father's Name (पिता का नाम): NANAGRAM SAINI

(a) Name (नाम): BABULAL SAINI

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

I.I.F.-I/एकीकृत जीव फार्म-I

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

उपस्थिति छुपाते हुए मुकदमा दिये। समय करीब 04-25 पी.एम. पर श्री पुरुषोत्तम डेड कार्नि, 69 मय परिवारी श्री बाबूलाल डिविजन वॉड्स रिकॉर्डर पृथक से बंधार की गई। मन् पुलिस निरीक्षक मय देमरहिथान व श्री राजेन्द्र सेनी के अपनी परिवारी श्री बाबूलाल सेनी व श्री सीताराम सेनी को समय 03-40 पी.एम. पर रवाना किया गया जिसकी फई मुपुईगी परिवारी श्री बाबूलाल सेनी को मुपुई किया जाकर रिश्त मंग सत्यापन हेतु श्री पुरुषोत्तम डेड कार्नि, 69 के देमरह पुलिस निरीक्षक व स्वयं के पास से डिविजन वॉड्स रिकॉर्डर निकाल कर मय मोरी कार्ड पुनः खाली होना सुनिश्चित कर की वार्ता करने के लिए मरे पास उपस्थित मरे बवाह/रिश्तेदार श्री सीताराम को साथ में ले जाना चाहता हूँ जिस पर मन् समझादेश की गई। इस पर परिवारी श्री बाबूलाल सेनी ने बताया कि मैं पुलिस थाना गंगा के अशोक जी के पास अपने काम की वार्ता करने की प्रक्रिया समझादेश की तथा वार्ता की रिकॉर्ड करने के लिए डिविजन वॉड्स रिकॉर्डर की इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया श्री बाबूलाल सेनी को पुलिस थाना गंगा में जाकर थानाधिकारी के रीडर अशोक व थानाधिकारी से रिश्त मंग सत्यापन कार्यवाही हेतु परिवारी श्री बाबूलाल सेनी की सहाय लोकसेवक से सत्यापन वार्ता कराया जाना आवश्यक होने से परिवारी अवगत कराये तो उच्चधिकारियों द्वारा रिश्त मंग सत्यापन व अभिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये जिस पर अभिम थानाधिकारी गंगा के लिए 50,000/- रुपये की रिश्त की मंग करने के तथ्य परिलक्षित होने पर डाला उच्चधिकारियों को उपर्युक्त तथ्यों से मामला प्रथम दृष्टया पुलिस थाना गंगा पर पदस्थानित लोकसेवक थानाधिकारी के रीडर अशोक द्वारा पकड़वाना चाहता हूँ। उन लोगों से मरा लेन देन बकाया नहीं है और ना ही कोई रंजिश है। कानूनी कार्यवाही करे। इत्यादि जी द्वारा थाना इंचार्ज महेश जी के लिए 50,000/- रुपये की मंग की जा रही है। मैं उन्हें रिश्त नहीं देकर रंगे दूँगा। मंग की गई। उक्त लोगों को मैं रिश्तनी राशि नहीं देना चाहता हूँ। इस तरह पुलिस थाना गंगा के पुलिस कान्स्टेबल अशोक लिए फाइल की लिखापही करने वाले इंचार्ज साहेब के रीडर अशोक जी द्वारा मरे से 50,000/- रुपये की रिश्तनी राशि की मय पटवों की उपस्थिति में बैठकर आपस में राजीनामा कर लिया है। उस राजीनामा को फाइल पर लेकर एकपत्र लगाने के गंगा के श्री महेश जी द्वारा किया जा रहा है। उक्त विवाद को लेकर देमरा आरोपी पक्ष जो कि देमरे भाई बन्धु है, गांव के मुकदमा नं. 14/1/2024 दिनांक 15.05.2024 को दर्ज करवाया गया है जिसका अनुसंधान थाना अधिकारी पुलिस थाना कि मरे द्वारा पुलिस थाना गंगा में जमीन के विवाद व मारपीट तथा मरी औरत के साथ छेड़छाड़ किये जाने के सम्बन्ध में अभिन्यूरी, जयपुर नगर द्वितीय को सन्वोधित विषयान्वित रिश्त लेते दूये रंगे दूये पकड़वाने बाबत इस आपस की पेश की वार्ता की राईद की एवं इस सम्बन्ध में श्री बाबूलाल सेनी ने एक तहरीरी रिपोर्ट थामान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री इनक डिविजन कार्यवाही कराना चाहते है। इस पर उपस्थित श्री बाबूलाल सेनी ने श्री राजेन्द्र सेनी द्वारा बताया गया मुकदम में एकपत्र लगाने की एवज में 50,000/- रुपये की रिश्त राशि की मंग की जा रही है जिसके लिए श्री बाबूलाल दर्ज करवा रहा है जिसमें इनका राजीनामा हो रहा है परन्तु पुलिस थाना गंगा के थानाधिकारी के रीडर अशोक द्वारा इस विवा जयपुर के है। इनके द्वारा पुलिस थाना गंगा पर जमीन के विवाद, अपनी पत्नी के साथ छेड़छाड़ व मारपीट का मुकदमा परिवार श्री बाबूलाल सेनी एवं श्री नानाराम सेनी जति माली उम 42 वर्ष निवासी माधोगढ वार्ड नं. 07, तहसील गंगा मन् पुलिस निरीक्षक के पास उपस्थित आये जहाँ पर श्री राजेन्द्र सेनी ने मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि ये मरे स्थित गुमानपुरा मोड पड़वा जहाँ श्री राजेन्द्र सेनी के मोबाइल नम्बर [REDACTED] पर सम्पर्क किया जिस पर तीन व्यक्ति बाहन सरकारी मय चालक के गंगा रवाना हुआ। मय 03-00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना गंगा से पड़ले देमरह श्री अशोक कुमार डेड कार्नि, 149, मय डिविजन वॉड्स रिकॉर्डर, मोरी कार्ड के 32 GB micro card व डिविजन वॉड्स रिकॉर्डर निकालकर कायमिय कम्प्युटर से दोनों खाली होना सुनिश्चित कर मय थामान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कायमिय से अपने कक्ष में आया व कायमिय की अलमारी से एक नया sandisk ultra जाकर श्री राजेन्द्र सेनी मोबाइल नम्बर [REDACTED] से सम्पर्क कर अभिम कार्यवाही करे। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक करने के लिए पुलिस थाना गंगा में पदस्थानित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा रिश्त की मंग की जा रही है। अतः आप गंगा मोबाइल नम्बर [REDACTED] के परिवार को तरफ से पुलिस थाना गंगा पर दर्ज करवाये गये मुकदम में कार्यवाही नहीं जयपुर ने मन् छोटालाल पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष में तलब कर अवगत करवाया कि श्री राजेन्द्र सेनी निवासी गंगा दिनांक 18.06.2024 को समय 02.00 पी.एम. पर श्री भूपेन्द्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अभिन्यूरी, जयपुर नगर-द्वितीय, (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नली करे)):

12. First information contents (Attach separate sheet, if necessary)


S.No.	(क.सं.)	(पू.आई.डी.बी. संख्या)
UIDB Number		

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मुख्य समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण नं., यदि कोई हो):


10. Total value of property stolen (in Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु मं.)) : 50,000.00

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में भेजण की दिनांक और समय):

Name(नाम): MAHAVEER SINGH
Rank (पद): SP (Superintendent of Police)
No(सं.):



14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):



Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

complainant/informant free of cost.

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

or (के कारण इकार किया, या)

(जाँच के लिए):

(3) Refused investigation due to

No(सं.): to take up the investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(2) Directed (Name of I.O.):
(जाँच अधिकारी का नाम):

MOOL CHAND
Rank

MEENA
Rank

निरीक्षक

or (या)

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

(को गई कार्रवाई: बैंक उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख द्वारा के तहत है):

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

1.I.F.-1/एकीकृत जाँच फार्म-1

N.C.R.B./एन.सी.आर.बी

